न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 60/2020 अपील सू.प्र.

उनवान

सुशीला देवी, निवासी– ई–15 पलिस लाईन, भीलवाडा
---अपीलार्थी

बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा
---प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :–प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 30-09-.2020

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा के विरूद्ध दिनांक 08.09.2020 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का नकद राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 21.07.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा को प्रस्तुत किया।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 21.09.2020 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी् को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा द्वारा पत्रांक/सूचना प्रकोष्ठ/2020/577 दिनांक 28.09.2020 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा ने निम्न प्रकार रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं –

1. अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 01 से 02 में से बिन्दु सं0 01 में चाही गयी सूचना इस कार्यालय से भी संबंधित होने से, उपलब्ध कराने हेतु आवेदन–पत्र संबंधित अनुभाग में भिजवाया गया (छायाप्रति संलग्न है) तथा शेष सूचना इस कार्यालय से संबंधित नही होने से सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अनुसार कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कोटडी को आवेदन–पत्र अन्तरित कर अपीलार्थी को इसकी सूचना, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ कार्यालय हाजा के पत्रांक 408 दिनांक 05.08.2020 को इस कार्यालय से प्राप्त करने हेतु अपीलार्थी के मोबाईल नम्बर पर वार्ता की गई जिसमें अपीलार्थी ने स्वयं के जिले से बाहर होना बताकर, उपर्युक्त पत्रांक को कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाडा के किसी कार्मिक को देने को कहा जो कि सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के नियमानुसार नही होने से उस कार्मिक को नही देने हेतु वार्ता में ही अवगत कराया तो अपीलार्थी ने उपर्युक्त पत्रांक को स्वंय ही कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त कर लूँगी ऐसा प्रत्युत्तर दिया लेकिन अपीलार्थी द्वारा आज दिनांक तक कार्यालय में उपस्थित होकर उपर्युक्त पंत्राक को प्राप्त

नही किया फिर भी इस अपीलोत्तर के साथ संलग्न कर सूचना भिजवायी जा रही है :–(छायाप्रति संलग्न है)

उक्त सूचना के संदर्भ में अपीलार्थी को पत्रांक/577 दिनांक 28.09.2020 द्वारा जरिये डाक से भिजवायी गयी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा सूचना प्रेषित कर दिए जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती हैं। आदेश आज दिनांक 30.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)